**त्रिभुवन दहिया, जे.** के सामने,

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड - याचिकाकर्ता

बनाम

**राजेश और** अन्य – **प्रतिवादी**

**2014 का एफ. ए. ओ. सं. 10378**

07 सितंबर, 2022

**ए. मोटर वाहन अधिनियम, 1988, धारा 6-उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना-दुर्घटना में मृत्यु-मुआवजे का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी की देयता-दो ड्राइविंग लाइसेंस की याचिका-केवल इसलिए आयोजित की गई क्योंकि उल्लंघन करने वाले वाहन के चालक को दो अलग-अलग लाइसेंस प्राधिकरणों द्वारा दो लाइसेंस जारी किए गए थे, जो अनियमितता हो सकती है, लेकिन इसका बीमा कंपनी को पसंद करने वाले लाइसेंसों में से एक को अमान्य घोषित करने का प्रभाव नहीं हो सकता है और न ही बीमित व्यक्तिको क्षतिपूर्ति करने के लिए बीमा कंपनी के दायित्व पर इसका कोई असर हो सकता है।**

माना जाता है कि अधिनियम की खंड 6 के प्रावधान यहां आकर्षित नहीं होते हैं। चूंकि, मौजूदा मामले में, यह साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी No.5/driver और मालिक को जारी किया गया कोई भी लाइसेंस नकली या मनगढ़ंत है।यह

न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलकर्ता का मामला भी नहीं था, और न ही उसकी ओर से इस आशय का कोई सबूत दिया गया था।इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किए गए दोनों लाइसेंस दुर्घटना की तारीख को वैध थे।उसके पास उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।इसके अलावा, जहाँ तक लाइसेंस की बात है, Ex. आर-1, संबंधित है, यह प्रतिवादी संख्या 1 को 23.5.2017 तक की वैधता के साथ 24.5.2010 को हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और मोटर साइकिल/स्कूटर चलाने के लिए जारी किया गया है।पहले का लाइसेंस, Ex. आर-3, कहा जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किया गया था, जो हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए नहीं था, बल्कि केवल मोटर साइकिल/स्कूटर चलाने के लिए था।इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 के पास प्रासंगिक समय पर हल्के मोटर वाहन (एल. एम. वी.) चलाने के लिए दो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे।इसके अलावा, केवल इसलिए कि उसे दो अलग-अलग लाइसेंस प्राधिकरणों द्वारा दो लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव अपीलकर्ता की पसंद के अनुसार एक लाइसेंस को अमान्य घोषित करने का नहीं हो सकता है।न ही इसका बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए अपीलकर्ता के दायित्व पर कोई प्रभाव पड़ सकता है।

(पैरा 8) **बी. मोटर वाहन अधिनियम, 1988, खंड 9-अपराधी वाहन के मालिक और चालक द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाना दुर्घटना में मृत्यु-मुआवजे का भुगतान करने के लिए बीमा कंपनी की देयता-याचिका है कि उल्लंघन करने वाले वाहन का चालक लाइसेंस प्राधिकरण/जिला परिवहन प्राधिकरण, नागालैंड द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार नहीं है, क्योंकि वह राज्य का सामान्य निवासी नहीं था-न्यायाधिकरण के समक्ष बीमा कंपनी के नेतृत्व में कोई सबूत नहीं है कि मालिक सामान्य रूप से नागालैंड में नहीं रह रहा था, उस समय जब उसे लाइसेंस जारी किया गया था-केवल मालिक के पते का संदर्भ, दावा याचिका के पक्षों के ज्ञापन में दिया गया था, किसी भी तरह से यह स्थापित नहीं कर सकता है कि वह सामान्य रूप से**

**नागालैंड में नहीं रह रहा था, उस समय जब उसे 2010 में उक्त लाइसेंस जारी किया गया था-इसलिए, बीमा कंपनी की देयता ।**

अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क कि प्रतिवादी संख्या 5 लाइसेंस प्राधिकरण/जिला परिवहन प्राधिकरण, नागालैंड द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार नहीं था, क्योंकि वह राज्य का सामान्य निवासी नहीं है, भी अस्वीकार किए जाने के योग्य है। अधिनियम की खंड 9 के प्रावधानों के बारे में कोई विवाद नहीं है, जिसके प्रभाव से एक व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य नहीं है, वह उस राज्य में लाइसेंस प्राधिकरण को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है या व्यवसाय करता है। जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत नहीं दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 सामान्य रूप से नागालैंड में नहीं रह रहा था, उस समय जब लाइसेंस, Ex.आर-1, उन्हें जारी किया गया था, अर्थात, 24.5.2010 को। दिनांक 28.10.2013 को दायर दावा याचिका के पक्षकारों के ज्ञापन में दिए गए प्रतिवादी संख्या 1 के पते का केवल संदर्भ, किसी भी तरह से, यह स्थापित नहीं कर सका कि वह सामान्य रूप से नागालैंड में नहीं रह रहा था, जब 2010 में उसे लाइसेंस जारी किया गया था।

(पैरा 9)

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुभाष गोयल ने कहा।

अश्विनी अरोड़ा, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं के लिए संख्या 1 और 4 के लिए।

रवि गखर, अधिवक्ता, (कोर्ट गार्जियन), उत्तरदाताओं के लिए संख्या 2 और 3 के लिए।

## त्रिभुवन दहिया, जे। (मौखिक)

(1) यह अपील अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा विजय @विजय कुमार की मृत्यु के कारण उत्तरदाताओं के दावे की क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व पर विवाद करते हुए दायर की गई है।

(2) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा पारित निर्णय द्वारा, दिनांक 17.10.2014, उत्तरदाताओं/दावेदारों को मुआवजा दिया गया है जो मृतक के आश्रित हैं, जो चंडीगढ़ पुलिस के कर्मचारी थे।30 सितंबर/1 अक्टूबर, 2013 की दरम्यानी रात को प्रतिवादी नंबर 1, उल्लंघन करने वाले वाहन के मालिक और चालक, यानी पंजीकरण संख्या सीएच 01–एएम–9762 वाली कार द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। दुर्घटना के समय मृतक की आयु 39 वर्ष थी। उनके वेतन से बचत और आयकर आदि की कटौती करने के बाद, ब्याज के साथ 66,73,230/- रूपए की राशि मुआवजे के रूप में दी गई। आक्षेपकारी वाहन का अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जा रहा है, प्रतिवादी पर दायित्व संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से निर्धारित किया गया था।

(3) मृतक की आय का आकलन करते समय, उसके सकल वेतन Rs.30817- प्रति माह के अलावा, उनके पूर्व सैनिक होने के कारण उन्हें दिए जाने वाले 9870/- रुपये को भी ध्यान में रखा गया था। इस प्रकार मृतक की कुल आय Rs.40687-प्रति माह मानी गई। (Rs.30817 + Rs.9870)। अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि मृतक द्वारा पूर्व सैनिक के रूप में ली जा रही पेंशन को उसकी कुल मासिक आय का आकलन करने के लिए ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए।यह तर्क दिया गया है कि मृतक के परिवार को उसकी मृत्यु के बावजूद किसी भी मामले में पेंशन मिलती रहेगी।इसलिए, कुल आय की गलत गणना की गई थी, जिसे पेंशन की राशि काटकर ठीक करने की आवश्यकता है। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता इस न्यायालय के दिनांकित 13.1.2018 के फैसले पर निर्भर करता है। जो 2014 के एफ. ए. ओ. No.10228 में चरणजीत सिंह बनाम **हरीश कुमार सचदेवा और अन्य** में पारित है ।

चरणजीत सिंह के मामले में विचार के लिए प्रश्न यह था कि क्या मृतक को दी गई पूरी पेंशन को निर्भरता के नुकसान की गणना के लिए आय के रूप में लिया जाना था, या विधवा को दी गई पारिवारिक पेंशन में कटौती की जानी थी और निर्भरता के नुकसान की गणना के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन के अंतर पर विचार किया जाना था।अदालत ने कहा कि यदि मृतक द्वारा ली गई पेंशन में से

पारिवारिक पेंशन की कटौती नहीं की जाती है, तो यह दोगुना लाभ देने के बराबर होगा, यानी मृतक द्वारा ली गई पेंशन का लाभ और साथ ही परिवार को उपलब्ध पारिवारिक पेंशन।

(4) न्यायाधिकरण के निर्णय के अवलोकन से यह स्थापित होता है कि मृतक की आय का आकलन वेतन के साथ-साथ पूर्व सैनिक के रूप में पेंशन को ध्यान में रखते हुए किया गया है जो उसे मृत्यु के समय दिया जा रहा था, जैसा कि मृतक के लेखा विवरण, Ex.P-11 द्वारा स्थापित किया गया है। चरणजीत सिंह मामले (ऊपर) उपरोक्त निर्णय में अपीलकर्ता के वकील द्वारा भरोसा किया जाना तथ्यों पर अलग है क्योंकि उसमें मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन मिल रही थी, और उन परिस्थितियों में न्यायालय ने कहा है कि यदि मृतक द्वारा ली गई पेंशन से पारिवारिक पेंशन की कटौती नहीं की जाती है, तो यह दोगुना लाभ देने के बराबर होगा। जबकि, मौजूदा मामले में, दावेदार विधवा की पारिवारिक पेंशन या किसी अन्य पेंशन की पात्रता स्थापित नहीं की गई है। अभिलेख पर प्रभाव के लिए कोई सबूत नहीं है, और न ही अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किसी का उल्लेख किया जा सकता है। अतः न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व सैनिक के रूप में मृतक के सकल वेतन और पेंशन को ध्यान में रखते हुए उसकी कुल आय के आकलन में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। पूर्व सैनिक के रूप में उन्हें वास्तव में मिल रही पेंशन को बाहर करने का कोई आधार नहीं है, जो उनकी मासिक आय का एक हिस्सा था।

(5) इसके बाद अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 5/चालक और मालिक का लाइसेंस वैध नहीं था, जितना कि उसके पास दो ड्राइविंग लाइसेंस थे।पहले लाइसेंस की प्रति, Ex.पी-3, स्कूटर और मोटर साइकिल चलाने के लिए उन्हें चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 1.7.1997 को जारी किया गया था, और यह 2.2.2015 तक वैध था। दूसरा लाइसेंस, एक्स। आर-1, जिसे प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किया गया है, जिला परिवहन अधिकारी, नागालैंड द्वारा केवल मोटर साइकिल और एलएमवी (हल्के मोटर वाहन) चलाने के लिए जारी किया गया था; यह 24.5.2010 को जारी किया गया था और 23.5.2017 तक वैध था।इन तथ्यों पर, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की खंड 6 (संक्षेप में 'अधिनियम') के अनुसार, किसी भी व्यक्ति के पास वर्तमान में लागू ड्राइविंग लाइसेंस है, उसे दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस रखने की अनुमति

नहीं है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि प्रतिवादी No.5/driver और मालिक नागालैंड के सामान्य निवासी नहीं हैं, पार्टियों के ज्ञापन में दिए गए उनके पते के अनुसार, उन्हें अधिनियम की खंड 9 का उल्लंघन करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता था।

(6) अधिनियम की धारा 6 और 9 (1) निम्नानुसार हैः

## खंड 6.ड्राइविंग लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध

– (1) कोई भी व्यक्ति, जबकि उसके पास कुछ समय के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, खंड 18 के प्रावधानों के अनुसार जारी लर्नर्स लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस या खंड 139 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, मोटर वाहन चलाने के लिए उसमें निर्दिष्ट व्यक्ति को अधिकृत करने वाले दस्तावेज़ के अलावा कोई अन्य ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रखेगा।

(2) ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस का कोई भी धारक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसका उपयोग करने की अनुमति नहीं देगा।

(3) इस खंड की कोई भी बात खंड 9 की उप-खंड (1) में निर्दिष्ट अधिकार क्षेत्र वाले अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को उन वाहनों के खंडों को जोड़ने से नहीं रोकेगी जिन्हें चलाने का अनुज्ञप्ति धारक को चलाने के लिए अधिकृत करता है।

XXX XXX

XXX

खंड 9.ड्राइविंग लाइसेंस का अनुदान-(1) कोई भी व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने या प्राप्त करने के लिए अयोग्य नहीं होने पर उस क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र रखने वाले लाइसेंस प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है -

(i) जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है या व्यवसाय करता है, या (ii) जिसमें खंड 12 में निर्दिष्ट स्कूल या प्रतिष्ठान स्थित है, जहां से वह मोटर वाहन चलाने का निर्देश प्राप्त कर रहा है या प्राप्त कर लिया है, उसे ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए।

(7) अधिनियम की खंड 6 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को धारण करते समय दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस रखने का हकदार नहीं होगा, सिवाय इसके कि (i) अधिनियम की खंड 18 के प्रावधानों के अनुसार जारी लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस, या (ii) अधिनियम की खंड 139 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्दिष्ट व्यक्ति को मोटर वाहन चलाने के लिए अधिकृत करने वाला दस्तावेज।अधिनियम की खंड 18 केंद्र सरकार से संबंधित मोटर वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित है, और इसका यहां कोई आवेदन नहीं है; न ही केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की खंड 139 के तहत बनाए गए नियमों के प्रावधान यहां लागू होते हैं।

(8) अधिनियम की खंड 6 के प्रावधान यहाँ आकर्षित नहीं होते हैं।चूंकि, तत्काल मामले में, यह साबित नहीं होता है कि प्रतिवादी No.5/driver और मालिक को जारी किया गया कोई भी लाइसेंस नकली या मनगढ़ंत है।यह न्यायाधिकरण के समक्ष अपीलार्थी का मामला भी नहीं था, न ही उसकी ओर से इस आशय का कोई सबूत दिया गया था।इन परिस्थितियों में, इस निष्कर्ष से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किए गए दोनों लाइसेंस दुर्घटना की तारीख को वैध थे। उसके पास उल्लंघन करने वाले वाहन को चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।इसके अलावा, जहाँ तक लाइसेंस की बात है, Ex. आर-1, संबंधित है, यह प्रतिवादी संख्या 1 को 23.5.2017 तक की वैधता के साथ 24.5.2010 को हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और मोटर साइकिल/स्कूटर चलाने के लिए जारी किया गया है।पहले का लाइसेंस, Ex. आर-3, कहा जाता है कि प्रतिवादी संख्या 5 को जारी किया गया था, जो हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए नहीं था, बल्कि केवल मोटर साइकिल/स्कूटर चलाने के लिए था।इसलिए, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 5 के पास प्रासंगिक समय पर हल्के मोटर वाहन (एल. एम. वी.) चलाने के लिए दो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे।इसके अलावा, केवल क्योंकि उसे दो अलग-अलग लाइसेंस प्राधिकरणों द्वारा दो लाइसेंस जारी किए गए हैं, जो एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन इसका प्रभाव अपीलकर्ता की पसंद के अनुसार एक लाइसेंस को अमान्य घोषित करने का नहीं हो सकता है। न ही इसका बीमित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति देने के लिए अपीलकर्ता के दायित्व पर कोई प्रभाव पड़ सकता है।

(9) अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता का अगला तर्क कि प्रतिवादी संख्या 5 लाइसेंस प्राधिकरण/जिला परिवहन प्राधिकरण, नागालैंड द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने का हकदार नहीं था, क्योंकि वह राज्य का सामान्य निवासी नहीं है, भी अस्वीकार किए जाने के योग्य है। अधिनियम की खंड 9 के प्रावधानों के बारे में कोई विवाद नहीं है, जिसके प्रभाव से एक व्यक्ति जो ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य नहीं है, वह उस राज्य में लाइसेंस प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है जिसमें वह सामान्य रूप से रहता है या ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए व्यवसाय करता है।जहाँ तक इस मामले के तथ्यों का संबंध है, अपीलार्थी/बीमा कंपनी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष कोई सबूत नहीं दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 सामान्य रूप से नागालैंड में नहीं रह रहा था, उस समय जब लाइसेंस, एक्स। आर-1, उन्हें जारी किया गया था, अर्थात, 24.5.2010। **28.10.2023** को दायर दावा याचिका के पक्षकारों के ज्ञापन में दिए गए प्रतिवादी संख्या 1 के पते का केवल संदर्भ, किसी भी तरह से, यह स्थापित नहीं कर सका कि वह सामान्य रूप से नागालैंड में नहीं रह रहा था, जब 2010 में उसे लाइसेंस जारी किया गया था।

(10) उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, अपील विफल हो जाती है और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

(11) सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, तो उन्हें निष्फल करार देते हुए निपटाया जाता है।

jasbir singh

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।